अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 17/2018(RCMS No. 2018/00193) अनवान् रामकुमार पंवार पुत्र श्री मोतीराम जाति पंवार आयु 78 वर्ष निवासी पंवार हाउस, मकान नम्बर 259, स्कूल नम्बर9 के सामने, वार्ड नम्बर 8, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर वर्तमान अस्थाई पता मार्फत महेश जांगिड, मकान नम्बर 375, वार्ड नम्बर 10, स्कूल नम्बर 6 के नजदीक, खेजड़ी के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम 1. सत्यपाल पुत्र रामकुमार 2. श्रीमती सरोज पत्नी श्री सत्यपाल 3. उमेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति पंवार, निवासी पंवार हाउस, मकान नम्बर 259, स्कूल नम्बर 9 के सामने, वार्ड नम्बर 8, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.05.2019

अपीलार्थी रामकुमार पंवार एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 सत्यपाल पंवार व रेस्पोडेंट संख्या 03 उमेश कुमार स्वयं उपस्थित हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस दिनांक 15.05.2019 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी रामकुमार का कथन था कि उसने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत एक प्रार्थना पत्र पिता की हैसियत से रैस्पोडेंट संख्या 01–अपने पुत्र सत्यपाल, रेस्पोडैंट संख्या 02–पुत्रवधु सरोज पत्नी सत्यपाल एवं रेस्पोडैंट संख्या 03 अपने पुत्र उमेश कुमार के विरूद्ध दिनांक 28.09.2018 को पेश किया था कि प्रार्थी की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति मकान नं 259, साईज 20 गुणा 46 फुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ, वाके वार्ड नं. पुराना 11 नया वार्ड नं . 8, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाए जाने का आदेश पारित किया जावे।

उसका आगे कथन था कि उपखण्ड अधिकारी ने उसका प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी ने मकान के सम्बन्ध में एक इकरारनामा की प्रति पेश की है, किसी प्रकार का कोई पंजीबद्ध

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित मकान उसके स्वामित्व का हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का उक्त निष्कर्ष सही नहीं है। बैयनामा पंजीबद्ध होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

उसका कथन था कि अब अपीलार्थी के पक्ष में उक्त सम्पत्ति रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.01.2019 को हो चुका है, जिसके अनुसार अपीलार्थी उक्त अर्जित सम्पत्ति मकान नं. 259, साईज 20 गुणा 46 फुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ, वाके वार्ड नं. पुराना 11 नया वार्ड नं. 8, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का पूर्ण स्वामी हैं इसलिए अपीलांट को रेस्पोडैंट उक्त सम्पत्ति से बेदखल नहीं कर सकते है। जबकि अपीलार्थी को रेस्पोडैंट ने प्रताड़ित कर उक्त सम्पत्ति से जबरदस्ती बेदखल कर रखा है।

उसका यह भी कथन था कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में अप्रार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जिसमें उनका अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त सिवित न्यायाधीश संख्या 02, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.02.2019 को खारिज किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडैंट का उक्त सम्पत्ति पर कोई वैद्य कब्जा नहीं है।

अतः उसकी अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.10.2018 निरस्त किया जावे और उक्त सम्पत्ति का कब्जा रैस्पोडेंटसे दिलाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट सत्यपाल का कथन था कि उक्त भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत केवल संतान के विरूद्ध ही कार्यवाही की जा सकती है। रेस्पोडेंट संख्या 02 श्रीमती सरोज पत्नी सत्यपाल जो

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कि रामकुमार अपीलार्थी की पुत्रवधु है उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिए अपील खारिज की जावे।

उसका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी का तीसरा बड़ा पुत्र श्यामलाल है उसके व उसके पुत्र के इशारे पर उनको पेरशान करने की वजह से उनके विरूद्ध कार्यवाही कर रहा है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी राजकीय सेवानिवृत है और उसे सेवानिवृति पर काफी वित्तिय लाभ प्राप्त हुए है और वे अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और न ही उसके द्वारा भरण पोषण की मांग की गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उसका आगे यह भी कथन था कि श्रीमान् न्यायालय को उक्त विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्णय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है इस सम्बन्ध में केवल सिविल न्यायालय ही सक्षम है और उनके द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है जो लम्बित है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षो के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2018 खारिज कर दिया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगगांनगर के समक्ष प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2018 में निम्न प्रकार से प्रार्थना की थी :

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण एवं कल्याण अधिनियम में प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थना स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थी के स्वयं की मलकीयति के मकान नं 259 ब साईज 20 गुणा 46 फुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ, वाके वार्ड नं पुराना 11 नया वार्ड नं 8, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाए जाने का आदेश पारित किया जावे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त दिनांक 08.10.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है :

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी के मकान से अप्रार्थी को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने मकान के सम्बन्ध में मात्र एक इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है, किसी प्रकार का कोई पंजीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित मकान पर प्रार्थी का मालिकाना हक है। प्रार्थी द्वारा नेक नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा नेक नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता हैं।

—Sd—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इस अपील में यह देखा जाना है कि क्या उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत् है अथवा नहीं?

अधीनस्थ न्यायालय में प्राथी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 की धारा 23 के तहत पेश कर प्रार्थना की थी कि मकान संख्या 259 साईज 20X46 फीट पूर्व दिशा की ओर खुलता हुआ, वाके वार्ड नम्बर 11 पुराना, वार्ड नम्बर 8 नया, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का कब्जा अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 से प्रार्थी/अपीलार्थी को दिलाया जावे।

अधिनियम की धारा 23 निम्न प्रकार से है :

> **23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा :** —(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 30.01.2019 के अनुसार उक्त विवादित सम्पत्ति वार्ड सख्या 11 में स्थित मकान पैमाईशी 20X46 फीट पूर्व दिशा की ओर खुलता हुआ का क्रेता प्रतीत होता है और उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्पत्ति से धारा 23 के तहत रेस्पोडेंट को बेदखल करवाना चाहता है। अधीनियम की धारा 23 के अनुसार अगर वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के पश्चात कोई सम्पत्ति भरण पोषण की शर्त के अधीन अन्तरण की हो और अन्तरिती द्वारा भरण पोषण या अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करता है तो ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण शून्य किया जा सकता है।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील पत्र में अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण की कोई मांग नहीं की गई है और न ही उसके द्वारा ऐसा कोई दसतावेज साक्ष्य पेश किया गया है जिसके अनुसार उक्त सम्पत्ति भरण पोषण की शर्तो के अधीन रेस्पोडेंटम को दी गई हो। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 अपीलार्थी के पुत्र है और रेस्पोडेंट संख्या 2 अपीलार्थी की पुत्रवधु है जो संतान की परिभाषा में नहीं आती है, इसलिए उसके विरूद्ध इस अधिनियम में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 का सम्बन्ध है, उनसे किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की गई है और न ही उक्त सम्पत्ति किसी शर्त के अधीन अन्तरण की गई है। इसलिए इस अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत रेस्पोडेंट के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगांगनगर के आदेश दिनांक 08.10.2018 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी को उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही करनी चाहिए। जिसके लिए वह पूर्ण स्वतंत्र है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर